प्रेस नोट दिनांक- 23.07.2025

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में भ्रष्टाचार में लिप्त उ0नि0 को गिरफ्तार कर की गई कठोर कार्यवाही।

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं — भ्रष्टाचार में लिप्त उपनिरीक्षक गिरफ्तार

धन मांगने के आरोप में उ0नि0 निलंबित, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल

प्रतापगढ़ ।
शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़ को यह अवगत कराया गया था कि विवेचक उपनिरीक्षक द्वारा मुकदमे से नाम निकलवाने के लिए धनराशि की मांग की जा रही है, जिसका ऑडियो/वीडियो साक्ष्य संज्ञान में आया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच क्षेत्राधिकारी सदर को सौंपी गई। जांचोपरांत आरोप सिद्ध पाए जाने पर उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
शिकायतकर्ता रिंकू पुष्पाकर पुत्र स्व. गंगा पुष्पाकर निवासी ग्राम बदगवा, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 101/2025 धारा 191(2)/352/351(3)/324(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत था । जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही थी । जिनके द्वारा शिकायतकर्ता से मुकदमें में नाम निकलवाने के लिए पैसे मांगने का आडियो/वीडियो संज्ञान में आया था । जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही थी । जाचोपरान्त उ0नि0 जितेन्द्र सिंह को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही आसन्न की गई थी । जांचोपरांत शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 149/2025 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के नेतत्व में थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अंशु सिंह, हे0का0 शिवेन्द्र सिंह, हे0का0 जयप्रकाश मिश्रा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0 149 / 2025 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त उ0नि0 जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 देव सिंह निवासी ग्राम ग्राम त्योरी थाना नवाबगंज, फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद हाल तैनाती थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अभियुक्त उ0नि0 जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 देव सिंह निवासी ग्राम ग्राम त्योरी थाना नवाबगंज, फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद हाल तैनाती थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष ।

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अंशु सिंह, हे0का0 शिवेन्द्र सिंह,हे0का0 जयप्रकाश मिश्रा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ का बयान-

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनहित, न्याय और सेवा की मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

जनता से अपील है कि यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा आपसे अवैध रूप से धन की मांग की जाती है या दबाव बनाया जाता है, तो उसकी सूचना संबंधित उच्चाधिकारी अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।

पूर्व स्वामी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से चोरी की गई अर्टिगा कार के साथ गिरफ्तार – थाना कंधई पुलिस की सतर्कता से खुलासा

पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कंधई पुलिस द्वारा सुनियोजित वाहन चोरी का सफल अनावरण

अभियुक्त को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत नेवादा, चिलबिला पट्टी मार्ग बिजहरा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही कब्जे से चोरी की 01 अदद अर्टिगा वाहन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 20.12.2024 को वादी निवासी ग्राम पूरेधनी, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ की पत्नी द्वारा एक आर्टिका वाहन कमलाकान्त दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दूबे निवासी कबेली, थाना सिंहरामऊ, जनपद जौनपुर से खरीदा गया था। दिनांक 15.05.2025 को वादी का साला उक्त वाहन को लेकर अपने साथियों के साथ धूती निवासी की नातिन की शादी में शामिल होने गया था। रात्रि में विवाह समारोह स्थल के पास बाग में वाहन खड़ा कर लॉक करके वह समारोह में चला गया। उसके पश्चात जब वह वापस लौटा तो वाहन मौके से गायब मिला। अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा वाहन चोरी कर लिया गया था। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कंधई पर मु0अ0सं0 116 / 2025 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा॰0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराद उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 पवन यादव, उ0नि0 सुभाष चन्द्र, कां0 अभिनव, कां0 हरीश, कां0 अनुराग देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0 116 / 2025 धारा 303 (2) बीएनएस थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त कमलाकान्त दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दूबे उर्फ लल्लू निवासी कबेली थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 30 वर्ष को चोरी की 01 अदद अर्टिगा वाहन के साथ थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत नेवादा, चिलबिला पट्टी मार्ग बिजहरा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त के कब्जे से उक्त चोरी की 01 अदद अर्टिगा वाहन की बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317 (2) / 318 (4) बीएनएस की बढोत्तरी की गई । अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 नायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
कमलाकान्त दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दूबे उर्फ लल्लू निवासी कबेली थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 30 वर्ष ।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि ये अर्टिगा गाडी नं0 UP 16 GT 4879 जो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है । जिसे मैंने लगभग 1.50 वर्ष पहले बाबा कार बाजार जौनपुर से 08 लाख रुपये में तय करके मौके पर दो लाख नकद जमा करके और बचे पैसे का किश्त प्रत्येक माह 16500/- रुपये के हिसाब देने की बात करके खरीदा था । कुछ दिन गाडी को चलाने के बाद मैं यह अर्टिगा गाडी को दिसम्बर 2024 में राजपूत टेन्ट हाऊस ग्राम सिंघावल थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर पर वादी की पत्नी को 7,50000/- रुपये में तय करके बेचा दिया था । बेचने के दौरान मुझे नकद और आनलाईन के माध्यम से कुल 150000/- रुपये प्राप्त हुआ था, शेष रुपये वादी द्वारा किश्तवार प्रत्येक माह 16500/- रुपये मुझे देने की बात तय थी, जो वादी मुझे प्रत्येक माह देते थे । गाडी की एक चाभी मैं रख लिया था कि किश्त पुरा होने के बाद दूंगा। गाडी बेचते समय मौके पर मेरा दोस्त तथा गवाह में और लोग भी जिसमें वादी, वादी की पत्नी, वादी का दोस्त,और लोग भी मौजूद थे। मौके पर एक शपथपत्र (बेचनामा) तैयार हुआ था जिसपर सभी ने हस्ताक्षर बनाये थे ।

गाडी चलाकर ही मैं अपना परिवार का पालन पोषण करता था गाडी बेचने के बाद जो पैसा मिला था कुछ दिन में खत्म हो गया । तो मेरे परिवार में पैसे की आर्थिक तंगी आ गयी । तो मैने अपने मित्र से अपनी स्थिति अवगत कराते हुए कुछ आर्थिक मदद करने को कहा । मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि जो गाडी बेचे हो उसका आंनरशिप ट्रान्सफर कर दिये हो तो मैने बताया कि अभी नही फिर हम दोनो लोगो ने यह योजना बनायी कि गाडी तो मेरे नाम से ही है उसे मौका देखकर चोरी कर लिया जाय । फिर हम दोनो लोग गाड़ी की रैकी करने लगे। दिनांक 15.05.2025 को मेरे दोस्त ने मुझसे बताया कि तुम्हारी अर्टिगा गाडी आज प्रतापगढ के धुती गांव में शादी में जाने वाली है चलो चलते हैं अगर मौका मिल जायेगा तो गाडी को चोरी कर लिया जायेगा । एक चाभी तो हमलोगो के पास है ही । हमलोग शाम करीब धुती गांव के पास चिलबिला पट्टी रोड पर अपने को छुपते छुपाते अपनी बेची गयी अर्टिगा गाड़ी की फिराक में लग गये। रात में धुती गांव में जहां पर एक बारात आयी थी, वहां मैं और मेरा दोस्त गये थे, जिसके आस-पास खडी गाडियों को हम लोगो ने देखा तो उसमें मेरे द्वारा बेची गयी अर्टिगा वाहन एक बाग में खडी थी । गाडी को पास से जाकर देखा गया तो गाडी लांक थी उसमें कोई नही था फिर अंधेरे का फायदा उठाकर हम दोनो ने अर्टिगा गाडी को इसकी दूसरी चाभी से खोलकर स्टार्ट कर तेजी से लेकर अपने घर जौनपुर की तरफ चले गये । बाद में पता चला कि वादी ने चोरी का मुकदमा लिखवा दिया है । तो मैं तथा मेरा दोस्त ने मिलकर अर्टिगा के नम्बर प्लेटो को निकालकर फेक दिये कि पुलिस और वादी को पता न चल सके फिर उसी गाडी को मैं तथा विकास गुप्ता भाडा में चलाने लगे। आज मैं प्रतापगढ़ से भाडा छोडकर जौनपुर जा रहा था गाड़ी मे कुछ खराबी हो जाने के कारण गाड़ी यही खड़ी हो गयी कि आप लोगो ने पकड लिया।

बरामदगी-
चोरी की आर्टिगा वाहन बरामद किया गया ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराद उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 पवन यादव, उ0नि0 सुभाष चन्द्र, कां0 अभिनव, कां0 हरीश, कां0 अनुराग थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 राहुल कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0न0 5378/23 मु0अ0स0 306/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोहंडौर, प्रतापगढ से संबंधित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त पवन कुमार वर्मा पुत्र रामबहादुर वर्मा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौका थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ व मु0न0 26590/21 मु0अ0स0 64/19 धारा 354ए/504/506 भादवि थाना कोहंडौर, प्रतापगढ से संबंधित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रामलखन पुत्र स्व० लहरी राम वर्मा उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम फूलपुर (शाहपुर) थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.पवन कुमार वर्मा पुत्र रामबहादुर वर्मा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौका थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ ।

02.रामलखन पुत्र स्व० लहरी राम वर्मा उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम फूलपुर (शाहपुर) थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 राहुल कुमार थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

भूमि के विवाद में फायरिंग करने वाले 25-25 हजार के ईनामिया 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

इससे पूर्व प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, कुल 05 अभियुक्तों को थाना पट्टी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

इनाम घोषित अपराधी सुशील सिंह के लाइसेंसी पिस्टल के निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट की गई प्रेषित-

घटना में प्रयुक्त किये गये 09 वाहन (ट्रैक्टर-02, महिन्द्रा लोडर-01, फोर्ड इन्डीवर कार-01, फोर्स गोरखा कार-01, बुलेट मोटरसाइकिल-02, केटीएम मोटरसाइकिल-02 अदद बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

इनाम घोषित गिरफ्तार अभियुक्तों पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धमकी देने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं तथा फरार चल रहे थे ।

मु0अ0सं0-219/2025 धारा-3(5), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 140(2), 62 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में 06 आरोपियों पर रु0-25,000- रु0-25,000/- का पुरस्कार किया गया था घोषित, जिसमें 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । अन्य इनाम घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित की गई है, जिन्हे शीघ्र गिरफ्तारी किया जायेगी ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में ASP(E) श्री शैलेन्द्र लाल व CO पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के नेतृत्व मे थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार राय मय हमराह उ0नि0 श्री संतोष कुमार, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 सोनू यादव, का0राजू यादव, का0 विश्वेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा 25-25 हजार रुपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों, 1. शिवम पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय उम्र करीब 30 वर्ष, 2. विपिन पाण्डेय उर्फ विकास पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत चाँदा पट्टी रोड़ पर महरूफपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया । घटना में प्रयुक्त किये गये 09 वाहन (ट्रैक्टर-02, महिन्द्रा लोडर-01, फोर्ड इन्डीवर कार-01, फोर्स गोरखा कार-01, बुलेट मोटरसाइकिल-02, केटीएम मोटरसाइकिल-02 अदद बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त घटना में इससे पहले थाना क्षेत्रान्तर्गत से 03 अभियुक्तों 1- जयप्रकाश मौर्य उर्फ चन्दु मौर्य पुत्र अलगुराम निवासी बिरौती थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, 2- हरीश जायसवाल उर्फ पन्ने पुत्र रामसहाय निवासी डेई धौरहारा लालगंज बाजार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, 3-अखिलेश श्रीवास्तव पुत्र राजकिशोर निवासी रामकोला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. शिवम पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।
2. विपिन पाण्डेय उर्फ विकास पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

इससे पहले गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1- जयप्रकाश मौर्य उर्फ चन्दु मौर्य पुत्र अलगुराम निवासी बिरौती थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
2- हरीश जायसवाल उर्फ पन्ने पुत्र रामसहाय निवासी डेई धौरहारा लालगंज बाजार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
3- अखिलेश श्रीवास्तव पुत्र राजकिशोर निवासी रामकोला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार 25-25 हजार रुपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
1- शिवम पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय निवासी औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/140(2)/62 बीएनएस व 7 CLA Act थाना पट्टी प्रतापगढ़

2- विपिन पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय निवासी औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 286/16 धारा 34/386/419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/140(2)/62 बीएनएस व 7 CLA Act थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा फरार वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा कठोर/सख्त कार्यवाही करते हुए जनपद के थाना पट्टी से संबंधित 06 वांछित फरार अपराधियों पर रु0-25,000- रु0-25,000/- की पुरस्कार किया गया था ।

दिनांक-21.07.2025 की थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर गोली मारने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0-219/2025 धारा-3(5), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1),140(2), 62 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 06 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त घटना में गिरफ्तार नामजद 02 अभियुक्तों, शिवम पाण्डेय, विपिन पाण्डेय उर्फ विकास पाण्डेय पर 25-25 हजार का ईनाम घोषित किया गया था। इससे पहले उक्त घटना में प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

घटना कारित करने वाले नामजद अभियुक्तगणों का विवरण-

➡इनाम घोषित किए गए अपराधियों का विवरण इस प्रकार है:-

01. सुशील सिंह पुत्र फतेहबहादुर सिंह निवासी रामकोला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

02. शिवम पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय निवासी औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

03. विपिन पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय निवासी औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

04. संतोष सिह पुत्र रामकृपाल निवासी बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

05. ओम सिंह पुत्र माताभीख सिंह निवासी सरसतपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

06. अजय सिंह उर्फ टक्कू सिंह पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह निवासी चरैया थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

ईनाम घोषित अन्य फरार अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

1- सुशील कुमार सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 339/15 धारा 188 भादवि पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 251/23 धारा 419/420/386/506 भादवि पट्टी प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 247/2018 धारा 427 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/140(2)/62 बीएनएस व 7 CLA Act थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

2- संतोष सिंह पुत्र रामकृपाल निवासी बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 243/22 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 1867 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 287/10 धारा 110जी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/140(2)/62 बीएनए व 7 CLA Act थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

3- ओम सिंह पुत्र माताभीख सिंह निवासी सरसतपुर थाना पट्टी प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 247/18 धारा 427 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 51/06 धारा 307/504/506 भादवि व 2/3 गुण्डा एक्ट 1923 थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 52/06 धारा 323/504/506 भादवि व 3 (1) (X) sc/st act थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 328/18 धारा 143/147/148/149/186/341 भादवि थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3(5) / 191 (2) / 191 (3) 190/115 (2) / 352/351 (3)/109(1)/140(2)/62 बीएनएस व 7 CLA Act थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

4- अजय सिंह उर्फ टक्कू सिंह पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह निवासी चरैया थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 251/23 धारा 419/420 भादवि थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 339/15 धारा 188 भादवि थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/140(2)/62) बीएनएस व 7 CLA Act थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

नोट- प्रतापगढ़ पुलिस जनपदवासियों की सुरक्षा हेतु सतत रूप से प्रतिबद्ध है।

बयान-जनपद में अपराध व अराजकता के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कानून-व्यवस्था में विघ्न डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सभी अपराधियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दण्ड दिलाया जाएगा।

जनपद वासियों से अपील है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस आपकी सेवा व सुरक्षा हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत जलेसरगंज मोड़ के पास टेक्सी स्टेंड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 31.05.2025 की रात को वादी की पुत्री ने अपने ससुराल ग्राम पुरवारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में ससुरालीजनों की प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर ली । जिसके संबंध में थाना लालगंज में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 231/25 धारा 108 बीएनएस बनाम ससुराल पक्ष का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह कां0 आशीष गुप्ता द्वारा दिनांक 23.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग, विवचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 231/25 धारा 108 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त उदयराज पाल पुत्र स्व० जगदीश पाल नि० ग्राम पुरवारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थानाक्षेत्र के जलेसरगंज मोड़ के पास टेक्सी स्टेंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. उदयराज पाल पुत्र स्व० जगदीश पाल नि० ग्राम पुरवारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह कां0 आशीष गुप्ता थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना साइबर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना साइबर पुलिस द्वारा योजनाबध्द तरीके से धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना साइबर पुलिस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पट्टी ब्लाक की मुख्य प्रवेश गेट के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण
आरोपीगणों द्वारा म0गां0 नरेगा योजनान्तर्गत विकास खण्ड गौरा शासकीय धनराशि का व्यपहरण करने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर जनपद प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0 529/18 धारा 419/420/467/468/471/409 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी साइबर श्री दिवाकर सिह मय हमराह निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव, मु०आ0 नीरज कुमार, आ० पंकज चालक मु0आ० दीपक कुमार द्वारा मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 529/18 धारा 419/420/467/468/471/409 IPC थाना साइबर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित अभियुक्त संतोष कुमार तिवारी पुत्र राम कैलाश तिवारी निवासी ग्राम बसिरहा सिलौधीं थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 39 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पट्टी ब्लाक की मुख्य प्रवेश गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-
1- संतोष कुमार तिवारी पुत्र राम कैलाश तिवारी निवासी ग्राम बसिरहा सिलौधीं थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 39 वर्ष

गिरफ्तारी पुलिस टीम-
थाना प्रभारी साइबर श्री दिवाकर सिह मय हमराह निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव, मु०आ0 नीरज कुमार, आ० पंकज चालक मु0आ० दीपक कुमार थाना साइबर जनपद प्रतापगढ़